रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक / स्था. / 2020 / 366

जबलपुर, दिनांक: 06/06/2020

अधिसूचना

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1382 / एस.डब्ल्यू. / 2020 दिनांक 20 मई 2020 के द्वारा शासकीय कार्यालय खोले जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग एवं राजभवन भवन द्वारा विश्वविद्यालयों की परीक्षायें समय पर सम्पन्न कराने के लिये जारी निर्देशों के क्रम में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर में दिनांक 08.06.2020 से निम्नलिखित मापदण्डों के साथ कार्यालय प्रारंभ किये जा रहे हैं–

1. विश्वविद्यालय में समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों / प्रभारी अधिकारियों, अधिकारियों एवं अनुभाग अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
2. प्रशासकीय भवन में विद्यार्थियों / आवेदकों / आमजनों की भौतिक रूप से उपस्थिति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी अपने विभागों / कार्यालयों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त आदेश के परिपालन में 33 प्रतिशत तक कर्मचारियों को कार्य हेतु कार्यालय बुला सकेंगे एवं विभाग के शेष कर्मचारी मुख्यालय में ही उपस्थित रहकर अपने निवास स्थान से दूरभाष के माध्यम से विभागाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सके।
4. विश्वविद्यालय परिसर में कक्षायें स्थगित रहेंगी लेकिन समस्त शैक्षणिक कार्य ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगा।
5. समस्त विभागाध्यक्ष अपने विभागों में सी.बी.सी.एस. संबंधी परीक्षा कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी, कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे। विभाग एवं कार्यालय में नियमित रूप से सेनिटाइजेशन के लिये विश्वविद्यालय के सुरक्षा / सफाई अधिकारी से संपर्क करेंगे। समस्त शिक्षक / अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे।
7. समस्त शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी आरोग्य सेतु एप्लिकेशन का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
8. कार्यालय का समय आगामी आदेश तक प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक रहेगा।

आदेशानुसार,

प्र. कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर

पृ.क्र / स्था. / 2020 / 366 (अ)

जबलपुर, दिनांक: 06/06/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, महामहिम कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय, राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी, समस्त शैक्षणिक / प्रशासकीय विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर।
7. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर।
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
9. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी., रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
10. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
11. सफाई / सुरक्षा प्रभारी को इस आशय के साथ कि वे सेनेटाईज की व्यवस्था आवश्यकतानुसार किये जाने हेतु अपने अधिनस्थ को आदेशित करें।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र की ओर इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को तत्काल वेबसाईट पर प्रदर्शित करें।
13. कुलपति जी / कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

06/06/2020

सहायक कुलसचिव (स्थापना)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर